कार्यालय जिला दण्डाधिकारी, जिला इन्दौर (म.प्र.)

क्रमांक 430 /री0ए0डी0एम0/2019 इन्दौर, दिनांक 02 /03/2019

:: आ दे श ::

(अंतर्गत धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973)

पुलिस अधीक्षक(मुख्यालय), जिला इन्दौर के प्रतिवेदन पत्र क्र0 पुअ/मुख्या/जिविशा/इंदौर/2019(153) दिनांक 27/02/2019 से तथा समाचार पत्रों आदि माध्यम से अवगत कराये गये अनुसार व सामान्य तौर पर यह देखने में आया है कि इन्दौर जिला सीमान्तर्गत विभिन्न राजनैतिक दल, धार्मिक संगठनों एवं अन्य सामाजिक संगठनों एवं व्यक्तियों द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना एवं अनुमति के सार्वजनिक स्थलों पर धरना प्रदर्शन, रैलियां एवं सभाएं आयोजित की जाती है । जिससे क्षेत्र का यातायात बाधित होता है तथा कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने में भी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है । इस संबंध में पुलिस द्वारा भी उक्त स्थिति पर अंकुश लगाये जाने की दृष्टि से क्षेत्र में बिना पूर्व अनुमति के उक्त आयोजनों को प्रतिबंधित किये जाने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये जाने बाबद् अनुरोध किया गया है :-

2/ अतः **मैं लोकेश कुमार जाटव, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला इन्दौर यातायात को बाधित होने से रोकने एवं कानून व्यवस्था एवं शांति बनाए रखने की दृष्टि से लोक हित में, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत इन्दौर जिला सीमान्तर्गत किसी भी स्थल पर बिना अनुमति के किसी भी प्रकार के जुलूस, मौन जुलूस, रैली, सभा, आमसभा, धरना प्रदर्शन को पूर्णतः प्रतिबंधित करता हूँ** ।

3/ **यह भी आदेशित किया जाता है कि अनुमति उपरांत होने वाले उक्त आयोजनों में निम्नलिखित कृत्य भी प्रतिबंधित रहेंगे :-**

1. सभी प्रकार के अस्त्र/शस्त्र धारण करना तथा उनका प्रदर्शन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा । माननीय न्यायाधिपति, न्यायाधीश, प्रशासनिक अधिकारी, शासकीय अभिभाषक, सुरक्षा एवं अन्य किसी शासकीय कर्तव्य पालन के समय ड्यूटी पर लगाए गये सुरक्षा बलों एवं अर्द्ध सैनिक बलों, विशिष्ट व्यक्तियों/अधिकारियों की सुरक्षा हेतु लगाये गये पुलिस कर्मी, बैंक गार्ड उक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
2. किसी भी प्रकार के कट-आउट, बैनर, पोस्टर, फ्लैक्स, होर्डिंग्स, झंडे आदि जिन पर किसी भी धर्म/व्यक्ति, सम्प्रदाय, जाति या समुदाय के विरूद्ध नारे या अन्य भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल किया गया हो, का प्रकाशन एवं उसका किसी भी स्थल(निजी एवं सार्वजनिक स्थलों) पर प्रदर्शन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा ।
3. किसी भी भवन/सम्पत्ति(सार्वजनिक अथवा निजी) पर आपत्तिजनक भाषा अथवा भड़काऊ नारे लिखा जाना प्रतिबंधित होगा ।
4. मप्र कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के प्रावधानों के अन्तर्गत डी.जे. लाउडस्पीकर जैसे ध्वनि विस्तारण यंत्र का उपयोग, बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के प्रतिबंधित रहेंगा ।

District Magistrate,
District-Indore (M.P.)